# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

**अपील संख्या :– 323/2023**

विमला —**अपीलार्थी**

**बनाम**

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जालोर।
2. ब्लॉक विकास अधिकारी, पंचायत समिति चितलवाना सांचौर।

— **प्रत्यर्थीगण**

**आदेश की दिनांक** : 20.03.2024

**उपस्थित –**

**अपीलार्थी की ओर से** : श्री हापूराम विश्नोई, अधिवक्ता

**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से** : श्री गजेन्द्र सिंह चौहान, राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)**
**असलम मेहर, सदस्य**

## आदेश

1. अपीलार्थी ने पूर्व में इस अपील में आदेश दिनांक 01.09.2023 एवं आदेश दिनांक 02.09.2023 को चुनौती दी थी। जिसमें आलोच्य आदेश दिनांक 01.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में ग्राम पंचायत गोमी, पंचायत समिति चितरवाना, सांचौर से पंचायत समिति बागोड़ पदस्थापन किया गया एवं आदेश दिनांक 02.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क रहा है कि अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया जाना राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम–25'क' एवं परिशिष्ट–IX के प्रावधानों के विपरित था। उनका यह भी तर्क रहा है कि राजस्थान सरकार द्वारा स्थानांतरण पर प्रतिबंध के दौरान अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया था, जो उचित नहीं है।
2. उल्लेखनीय है कि इस अपील में इस अधिकरण द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 12.09.2023 पारित कर अपीलार्थी को एपीओ किए जाने का आदेश दिनांक 01.09.2023 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 02.09.2023 की क्रियान्विति अपीलार्थी के पदस्थापन के संबंध में स्थगित रखी गई थी। इस प्रकार अपीलार्थी इस अधिकरण के अंतरिम स्थगन आदेश की पालना में उसी स्थान पर कार्यरत है जहां वह पूर्व में कार्यरत था। चूंकि इस अधिकरण के आदेश की पालना में अब अपीलार्थी काफी लम्बे समय से उसी स्थान पर कार्यरत है, ऐसे में एपीओ के आदेश को पुनः प्रभाव में लाया जाना उचित नहीं है।
3. अतः इस अपील का निस्तारण निम्न प्रकार से किया जाता है:–
   1. अपीलार्थी के संबंध में पारित एपीओ एपीओ का आदेश दिनांक 01.09.2023 (अनुलग्नक–3) को निरस्त किया जाता है।
   2. प्रत्यर्थी विभाग को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए वह राज्यहित में अपीलार्थी का नियमानुसार नए सिरे से पदस्थापन/स्थानांतरण के संबंध में आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

**(असलम मेहर)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य(न्यायिक)**